कार्यालय जिला पंचायत, लखीमपुर–खीरी।

पत्रांक ˉ /सं0लि0/जि0पं0/2017–18 दिनांकः 16 अक्टूबर, 2017

–: कृषि कार्य हेतु भूमि नीलाम :–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, खीरी के स्वामित्वाधीन विकास खण्ड बॉकेगंज के ग्राम अलीगंज स्थित जूनियर हाईस्कूल अलीगंज की कृषि योग्य भूमि रकबा 4.748 हे0 को कृषि कार्य हेतु ठेका/नीलाम समय अवधि दिनांक 01–11–2017 से दिनांक 31 मई, 2019 तक के लिए **दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 को अपरान्ह 12 बजे** जिला पंचायत, खीरी सभागार में गठित नीलाम समिति द्वारा किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति मौके पर भूमि का निरीक्षण करने के उपरान्त बोली में भाग लेने हेतु **रू0 10,000/= (रू0 दस हजार)** बतौर जमानत जमा कर नीलाम में भाग ले सकते हैं। बोली समाप्त होने पर उच्चतम बोलीदाता की जमानत रोक कर शेष समस्त को स्थल पर ही जमानत वापस कर दी जायेगी। उच्चतम बोलीदाता को बोली का सम्पूर्ण धन तुरन्त ही जमा करना होगा। बोली स्वीकार होने पर उच्चतम बोलीदाता को निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। नीलाम की शर्तों की जानकारी कार्यालय दिवस में की जा सकती है। बोली स्वीकृत करने का अधिकार मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत, खीरी में निहित हैं। उक्त नीलाम सूचना विज्ञप्ति kheri.nic.in पर देखी जा सकती है।

अपर मुख्य अधिकारी/नीलाम अधिकारी,
जिला पंचायत, खीरी।

कार्यालय, जिला पंचायत, खीरी।

पृ0सं0 : 346 /सं0लि0/जि0पं0/2017–18 उक्त तिथि को।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, खीरी।
(2) क्षेत्रीय मा0 सदस्य जिला पंचायत, खीरी।
(3) उप जिलाधिकारी, गोला गोकर्णनाथ खीरी।
(4) खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बांकेगंज, खीरी।
(5) वित्तीय परामर्शदाता/अभियन्ता/कर अधिकारी, जिला पंचायत, खीरी को नीलाम सम्पन्न कराने हेतु।
(6) सम्बन्धित ग्राम प्रधान को सूचनार्थ।
(7) क्षेत्रीय कर समाहर्ता, जिला पंचायत, खीरी को प्रचार–प्रसार कराकर नीलाम सम्पन्न कराने हेतु।
(8) कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी/नीलाम अधिकारी,
जिला पंचायत, लखीमपुर–खीरी।